झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 52 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री रतनलाल स्वांसी एवं अन्य, पं०-गुड़जोरा, प्र०+जि०-खूँटी।

बनाम

प्रतिवादी DSO, खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

कैम्प कार्यालय, खूँटी।

वाद सं0–52/2023

आज दिनांक–04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री रतन लाल स्वांसी एवं अन्य, पंचायत–गुडजोरा ने राशन डीलर द्वारा अनियमितता बरतने सम्बन्धी विस्तृत शिकायत प्रतिवेदन समर्पित किया है।

शिकायत की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया जाता है कि वे पूरे प्रकरण की जाँच कर यह देखें कि क्या उपभोक्ताओं को ससमय राशन दिया गया है या नहीं। यदि ससमय राशन नहीं दिया गया है, तो जितने उपभोक्ताओं के राशन की कटौती की गई है, उतने उपभोक्ताओं को सवा गुणा मुआवजा सहित राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं इस आशय का जाँच प्रतिवेदन भी आयोग को समर्पित करें कि गड़बड़ी किये जाने के बावजूद सम्बन्धित राशन डीलर को निलंबन मुक्त किस परिस्थिति में किया गया। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि ग्राम सभा आयोजित कर पूरे मामले की जाँच करें एवं वीडियोग्राफी कराएँ तथा वीडियोग्राफी सहित जाँच प्रतिवेदन दिनांक–31.10.2023 तक समर्पित करें। साथ ही शिकायतकर्ता को भी जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ, ताकि शिकायतकर्ता भी अपना पक्ष रख सकें। जब भी ग्राम सभा की बैठक हो, तो इसकी सूचना शिकायतकर्ता को दे दी जाए।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	**(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx59